संख्या-7/5275/12-3-2013-100(46)/2010टी.सी.

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2013

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग की पिग डेवलपमेंट अन्डर नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवमुक्त धनराशि में से रू0-18146 हजार की धनराशि डिसैंक्शन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-रा.कृ.वि.यो./677/लेखा-5/2013-14, दिनांक 30.9.2013 एवं शासनादेश संख्या-988/12-3-2013-100(46)/2010टी.सी., दिनांक 16.4.2013 एवं शुद्धि पत्र संख्या-2044/12-3-2013-100(46)/2010, दिनांक 10.5.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-988/12-3-2013-100(46)/ 2010टी.सी., दिनांक 16.4.2013 द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0307-पशुपालन की योजनायें के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-988/12-3-2013-100(46)/ 2010टी.सी., दिनांक 16.4.2013 के संलग्नक में उल्लिखित पिग डेवलपमेंट अन्डर नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अन्तर्गत मानक मद-42-अन्य व्यय में स्वीकृत धनराशि रू0-6700 हजार (रू0 सड़सठ लाख मात्र) एवं मानक मद-43- सामग्री और सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि रू0-11446 हजार (रू0 एक करोड़ चौदह लाख छियालिस हजार मात्र) कुल रू0-18146 हजार (रू0 एक करोड़ इक्यासी लाख छियालिस हजार मात्र) को डिसैंक्शन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के फलस्वरूप मानक मद-42-अन्य व्यय में स्वीकृत धनराशि रू0-6700 हजार के स्थान पर शून्य तथा मानक मद-43-सामग्री और सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि रू0-11446 हजार के स्थान पर शून्य अंकित पढ़ा जाय। इस प्रकार पिग डेवलपमेंट अन्डर नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत धनराशि रू0-22946 हजार के स्थान पर रू0-4800 हजार (रू0 अड़तालिस लाख मात्र) अंकित पढ़ा जाय तथा शासनादेश द्वारा मानक मद-42-अन्य व्यय में कुल स्वीकृत धनराशि रू0-12966 हजार के स्थान पर रू0-6266 हजार तथा मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल स्वीकृत रू0-38897 हजार के स्थान पर रू0-27451 हजार तथा शासनादेश द्वारा कुल स्वीकृत की गयी धनराशि रू0-59383 हजार के स्थान पर रू0-41237 हजार अंकित पढ़ा जाय।

4- उक्त डिसैंक्शन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0-18146 (रू0 एक करोड़ इक्यासी लाख छियालिस हजार मात्र) का आहरण कोषागार से न किया गया हो।

5- उक्त शासनादेश संख्या-988/12-3-2013-100(46)/2010टी.सी., दिनांक 16.4.2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

सं0-5275(1)/12-3-2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।

7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10-नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

11-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

12-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in